राजस्थान सरकार

# कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

क्रमांक प.16(12)( )कोरोना/न्याय/20/ 2127 दिनांक 07 .05.2020

## —: आदेश :—

गृह मन्त्रालय भारत सरकार के आदेश संख्याः 40–3/2020–डीएम– I(ए) दिनांक 01.05.2020 द्वारा लागू किया गया लॉकडाउन दिनांक 17 मई, 2020 तक बढा दिया गया है एवं इस सम्बन्ध में विस्तृत गाईडलाईन दिनांक जारी की गई हैं ।

इस कम में अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, गृह विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश कमांकः प.33(2)गृह–9/2019 दिनांक 02.05.2020 द्वारा लॉकडाउन के संबंध में कियान्वयन हेतु जारी गाईड–लाईन्स के अनुसरण में इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश संख्या 2071 दिनांक 3.5.2020 को अतिकमित करते हुए **आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 एवं राजस्थान महामारी रोग अध्यादेश, 2020** के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, मैं जिला कलक्टर, सिरोही दिनांक 07.05.2020 से 17.05.2020 तक की अवधि के लिये सम्पूर्ण जिले में प्रत्येक व्यक्ति/समस्त कार्यालयों/समस्त प्रकार के संस्थानों/प्रतिष्ठानों/संगठनों के लिये लागू करते हुए निम्नानुसार निर्देश प्रसारित करता हूँ :–

| | |
|---|---|
| **A.निषिद्ध गतिविधियॉ** | जिले में निम्नांकित गतिविधियों पर निषेध जारी रहेगाः (नहीं की जा सकेगी)<br>i. चिकित्सा सेवाओं/एयर एम्बुलेन्स/सुरक्षा भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा अनुमत उद्देश्यों को छोडकर सभी घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों की यात्रा।<br>ii. भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा दी गयी अनुमति के अतिरिक्त रेल के द्वारा सभी यात्री आवागमन।<br>iii. भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा अनुमत उद्देश्यों के अतिरिक्त, सार्वजनिक परिवहन के लिए अन्तर्राज्यीय बसों का आवागमन।<br>iv. भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त कारणों के अतिरिक्त सार्वजनिक परिवहन के लिये अन्तर्राज्यीय बसों का आवागमन<br>v. भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा अनुमत गतिविधियों अथवा चिकित्सकीय कारणों को छोडकर व्यक्तियों का अर्न्तराज्यीय आवागमन<br>vi. सभी विद्यालय/महाविद्यालय/शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे । ऑनलाईन अध्यापन/कक्षाओं, डिस्टेन्स लर्निंग के संचालन की सुविधा रहेगी।<br>vii. स्वास्थ्य, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, फंसे हुये व्यक्तियों सहित पर्यटकों के आवास के लिये तथा Quarantine सुविधा के लिये उपयोग में ली गई आतिथ्य सेवाओं को छोडकर अन्य सभी आतिथ्य सेवायें/होटल इत्यादि<br>viii. सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शोपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और ऑडिटोरियम आदि एवं समान प्रकृति के स्थान बन्द रहेंगे ।<br>ix. सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य/अन्य समारोह ।<br>x. सभी धार्मिक स्थलों/पूजा स्थलों को जनता के लिए बंद कर दिया जाएगा। धार्मिक सम्मेलन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। |
| **B.सामान्य सावधानियॉ (Common Prescriptions) :** | जिले के लिए निम्नलिखित मानक सावधानियां और प्रतिबंध लागू रहेंगे :<br>**सार्वजनिक स्थान (Public Spaces) :**<br>1. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सःरूग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती |

महिलाऐं, और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त घर पर रहेगें। ऐसी स्थिति में, ऐसे व्यक्तियों से स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस सहानूभूति पूर्वक व्यवहार करेंगे।

2. सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, कार्य स्थलों में चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य हैं।
3. सार्वजनिक स्थलों, कार्य स्थलों और परिवहन के प्रभारी सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी (Social Distancing) कम से कम 6 फीट सुनिश्चित करेंगे।
4. शादी से सम्बन्धित समारोह में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी तथा 50 से अधिक अतिथियों को अनुमति नहीं दी जायेगी।
5. अन्तिम संस्कार/अन्तिम विधियों से सम्बन्धित अवसर पर सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी और 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जायेगी।
6. सार्वजनिक स्थान का कोई भी संगठन/प्रबन्धक पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं देगा ।
7. विवाह और अंत्येष्टि जैसे कार्यकम उपखण्ड मजिस्ट्रेट की अनुमति से किये जायेंगें ।
8. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने से दण्डनीय होगा ।
9. पान, गुटका, तम्बाकू आदि के विकय पर प्रतिबन्ध रहेगा।
10. शराब विकय करने की दुकानों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी तथा एक समय पर एक दुकान में 5 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं होंगे।
11. सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन पूर्णतः वर्ज़ित होगा।

**<u>कार्य स्थल (Work Spaces) :</u>**

12. सभी कार्य़स्थल पर चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा पर्याप्त मात्रा में फेस कवर की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।
13. सभी प्रवेश और निकास बिन्दुओं और सामान्य क्षेत्रों में थर्मल स्केनिंग, हैण्डवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधान किये जायेगें एवं इनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।
14. कार्य स्थानों में विभिन्न पारियों के बीच एक घंटे का अन्तराल होगा तथा सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों के लंच ब्रेक में अन्तराल दिया जायेगा ।
15. सभी कर्मचारियों के लिये आरोग्य सेतु एप का उपयोग अनिवार्य होगा तथा इसकी पालना सुनिश्चित करने के लिये संगठन का अध्यक्ष उत्तरदायी होगा।
16. संपूर्ण कार्य स्थलों में शिफटों के मध्य सहित आम सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल आदि का बार-बार सेनेटाईजेशन करना सुनिश्चित किया जायेगा।
17. किसी भी प्रकार की बैठक का आयोजन नहीं होगा। बडी भौतिक सभाओं से बचना चाहिये।
18. श्रेष्ठ स्वच्छता विधियों पर सघन संचार और प्रशिक्षण दिया जायेगा।

**<u>विनिर्माण प्रतिष्ठान (Manufacturing Establishments) :</u>**

19. आम सतहों (जहां बारम्बार आना जाना हो अथवा उपयोग में आवे) की बार-बार सफाई तथा अनिवार्य रूप से हाथों की धुलाई अनिवार्य होगी।
20. पारियों का अधिव्यापन (Overlap) नहीं होगा तथा सामाजिक दूरी के साथ केन्टीन में लंच आदि का अन्तराल रखा जायेगा ।
21. अच्छी स्वच्छता विधियों का व्यापक प्रचार-प्रसार और प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

| | |
|---|---|
| **C.** संशोधित लॉकडाउन के दौरान अनुमत गतिविधियां ऑरेन्ज जोन **(Orange Zone)** (रोकथाम जोन / कर्फ्यू क्षेत्र के अलावा) | 1. **औद्योगिक गतिविधियां (Industrial Activities)**<br>**शहरी क्षेत्र :**<br>गृह विभाग, जयपुर के 15 अप्रेल, 2020 के आदेश में विशिष्ट रूप से उल्लेखित ईकाईयों के अतिरिक्त निम्नलिखित ईकाईयों को भी अनुमति दी जाती है :<br>a. विशेष आर्थिक क्षेत्रों, निर्यातान्मुखी ईकाईया, औद्योगिक समपदा और टाउनशीप (रीको/निजी) पहुंच नियन्त्रण के साथ ।<br>b. उत्पादन इकाईया जिन्हें निरन्तर प्रकिया और उनकी आपूर्ति श्रंखला की आवश्यकता होती हैं ।<br>c. पैकेजिंग सामग्री बनाने वाली सभी ईकाईयां ।<br>**ग्रामीण क्षेत्र :**<br>सभी औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति हैं ।<br>इस आदेश से उद्योग विभाग द्वारा दिनांक 19.4.2020 को जारी की गई गाईड लाईन्स अधिक्रमित होगी ।<br>रीको/जिला उद्योग केन्द्र तथा श्रम विभाग के अधिकारी जब कभी भी आवश्यक समझा जावे तब कारखना परिसरों का निरीक्षण यह सुनिश्चित करेन के लिये करेंगे कि उद्योग अनुमत श्रेणी में है तथा सुरक्षा सावधानियों की विधिवत् तरीके से अनुपालना की जा रही है । कोई भी उल्ल्घंन पाये जाने पर इसकी सूचना तत्काल निकटतम इन्सीडेंट कमाण्डर (कार्यपालक मजिस्ट्रेट) को इन गाईडलाईन्स में प्रावधित अग्रिम आवश्यक कानूनी कार्यवाही के लिये दी जायेगी ।<br>**स्पष्टीकरण** – गृह विभाग के पत्र दिनांक 5.5.2020 अनुसार<br>1. म्यूनिसिपल क्षेत्रों में ओरेन्ज जोन के औद्योगिक क्षेत्रों से बाहर स्थित उद्योगों के संबंध में – म्यूनिसिपल क्षेत्रों में स्थित ऐसे एकल उद्योग जिनमें श्रमिक / कार्मिक परिसर के अन्तद ही निवास करते है तथा प्रवेश नियंत्रण है, खुल सकते है । **शर्तें**–ऐसे उद्योग सुरक्षा आदि की निर्दिष्ट शर्तों की पालना करेंगे तथा श्रमिक परिसर के अन्दर ही रहेंगे ।<br>2. उद्योगो का व्यवधान–मुक्त संचालन – गृह विभाग द्वारा दिनांक 2.5.2020 के कियान्वयन आदेश में लॉकडाउन अवधि के लिए ओरेन्ज जोन में संचालित होने वाले उद्योगों के प्रकार एवं प्रकृति को स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया हैं । ऐसे उद्योगों के संचालन के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं हैं । उक्त वर्णित आदेश में सभी नियम एवं शर्तें भी स्पष्टतः वर्णित की गयी है तथा पृथक गाईड लाईन्स की आवश्यकता नहीं हैं । रोकथाम जोन (Containment Zone) में कोई उ़द्योग खुला नहीं रहेगा ।<br>3. नाप–तोल कांटा / धर्मकांटा – सभी प्रकार केसामान एंव खनिज आदि का परिवहन अनुमत है । नाप–तोल कांटा / धर्मकांटा भी वस्तु / उत्पादन परिवहन श्रृंखला का अभिन्न अंग हैं । अतः सुरक्षा प्रोटोकोल की आवश्यकता की अनुपालना करते हुए सभी नाप–तोल कांटे खुले रहने के लिए अनुमति हैं ।<br>4. श्रमिकों का एकबारीय परिवहन – राज्य के अन्दर एक जिले (कोई भी जोन) से अन्य जिले (कोई भी जोन) में निर्माणक ार्य या अनुमत श्रेणी के उद्योगों के लिए कार्य स्थल पर ही ठहरने की शर्त के आधार पर एक बार श्रमिकों के परिवहन की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन दी जा सकती है :<br>a. नियेक्ता प्रतिबद्ध परिवहन (स्वयं/किराये) का वाहन उपलब्ध करायेगा ।<br>b. जिस जिले में कार्य स्थल/उद्योग अवस्थित है उसके जिला कलक्अर द्वारा अनुमति जारी की जायेगी । अनुमति की प्रतियां मार्ग में आने वाले जिलों के कलक्टरों को प्रेषित की जायेगी । |

| | |
|---|---|
| | c. यात्रा के दौरान सभी निर्दिष्ट सुरक्षा उपायों जैसे कि बसों का सेनेटाईजेशन, सामाजिक दूरी, चेहरे पर मास्क आदि की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।<br>d. श्रमिकों का कार्य स्थल पर ही आवश्यक स्वच्छता एवं अन्य सुरक्षा सावधानियों के साथ निवासित कराया जायेगा ।<br>e. यह ओरेन्ज जोन के म्यूनिसिपल क्षेत्रों के निर्माण कार्यों के लिए लागू नहीं होगा, जहां अनुमति केवल इन कार्यों के लिए ही है केवल ऐसे जहां श्रमिक पूर्व से ही परिसर के भीतर निवास कर रहे है ।<br>2. **निर्माण गतिविधियां (Construction Activities)**<br>**शहरी क्षेत्र :**<br>गृह विभाग, जयपुर के दिनांक 15 अप्रेल, 2020 के आदेश के अनुसार<br>**ग्रामीण क्षेत्र :**<br>सभी निर्माण गतिविधियों की अनुमति हैं ।<br>श्रमिकों के अन्तर जिला परिवहन के लिये जिस जिले में निर्माण कार्य स्थित है, उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ठेकेदार के नाम पर विशेष परमीट जारी किया जायेगा और यह श्रमिकों के एकत्रित करने के उदगम स्थान से लेकर निर्माण स्थल तक ले जाने के सम्पूर्ण मार्ग के लिये अधिकृत होगा ।<br>3. **दुकानें (Shops)**<br>गृह विभाग, जयपुर के दिनांक 15 अप्रेल, 2020 को जारी आदेश तथा दिनांक 19 व 25 अप्रेल, 2020 को जारी किये गये संशोधन आदेशों के अनुसार ।<br>**नाई की दुकान, स्पा एवं सैलून को खोलने की अनुमति नहीं दी जाती हैं ।**<br>4. **कार्यालय इत्यादि (Office etc.)**<br>i. सरकारी कार्यालय (राज्य / भारत सरकार)<br>राज्य सरकार – गृह विभाग, जयपुर के दिनांक 15.4.2020 के आदेश अनुसार ।<br>भारत सरकार – गृह मंत्रालय की दिनांक 1.5.2020 को जारी की गयी गाईडलाईन्स के अनुसार<br>ii. निजी (Private)<br>गृह विभाग, जयपुर के दिनांक 15.4.2020 एवं 19.4.2020 के आदेशों द्वारा अनुमत की गयी निजी एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के अतिरिक्त सभी निजी कार्यालय आवश्यकता अनुसार 33 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे, शेष व्यक्ति वर्क फ्रोम होम की स्थिति मे रहेंगे ।<br>5. **व्यक्तियों एवं परिहवन का आवागमन**<br>i. निम्नलिखित परिवहन की अनुमति नहीं होगी :<br>a. बसों का जिले के भीतर एवं अन्तर जिला आवागमन<br>ii. जारी की गयी गाईड लाईन्स / आपात स्थित में अनुमत गतिविधियों के लिये व्यक्तियों / वाहनों का आवागमन अनुमत हैं, ऐसे प्रकरणों में निम्नलिखित प्रतिबंध लागू होंगे –<br>a. चार पहिया वाहन – वाहन चालक एवं अधिकतम दो सवारीयां<br>b. टैक्सी एवं कैब संचालक (ओला/उबर आदि) – उपरोक्तानुसार<br>c. ऑटो रिक्शा / साईकिल रिक्शा – चालक एवं एक सवारी<br>d. दो पहिया वाहन– मात्र एक (सवार), पीछे की सीट पर कोई सवारी नहीं । |

चूंकि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा सिरोही जिले को ग्रीन जोन में रखा गया था, लेकिन जिले में कोरोना पोजिटिव व्यक्ति मिलने तथा ओर संकमित व्यक्ति मिलने की सम्भावना को देखते हुए समीक्षा

कर राज्य सरकार के निर्देशानुसार सिरोही जिले को ऑरेन्ज जोन में लिया जाता है । उपरोक्तानुसार जारी निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू किया जावे ताकि मानव जीवन और उसका स्वास्थ्य खतरे में नहीं पडे तथा कोविड–19 के वायरस के खतरे का सफलतापूर्वक निराकरण किया जा सकें। संबंधित समस्त अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि छूट में समस्त व्यक्तियों/कार्यालयों/समस्त प्रकार के संस्थानों/प्रतिष्ठानों/संगठनों में Social Distancing एवं Covid-19 अन्तर्गत पूर्ण प्रोटोकॉल का पालन किया जावें।

**आमजन केवल आवश्यक कार्य हेतु ही बाहर जाएं अन्यथा घर पर ही सुरक्षित रहे।**

गाईड–लाईन्स में जारी दिशा–निर्देशों के अनुरुप कियान्विति नहीं किये जाने की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51–60 अंतर्गत एवं राजस्थान महामारी रोग अध्यादेश, 2020 में निर्धारित जुर्माना और दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। सो संबंधित समस्त एवं आमजन सूचित रहे।

(भगवती प्रसाद)
**जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही**

क्रमांक प.16(12)( )कोरोना/न्याय/20/ 2127 दिनांक 07.05.2020

**प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–**

1. जिला पुलिस अधीक्षक, सिरोही
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिरोही
3. उप वन संरक्षक, सिरोही/वन्य जीव आबूपर्वत
4. उपखण्ड अधिकारी, सिरोही/शिवगंज/पिण्डवाडा/आबूपर्वत/रेवदर
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
6. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, सिरोही ।
7. जिला परिवहन अधिकारी, सिरोही / आबूरोड ।
8. जिला स्तरीय अधिकारी.........................................................................(समस्त), जिला–सिरोही
9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही/शिवगंज/पिण्डवाडा/आबूरोड/रेवदर
10. तहसीलदार, सिरोही/शिवगंज/पिण्डवाडा/आबूरोड/रेवदर
11. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगरपरिषद/नगरपालिका, सिरोही/शिवगंज/पिण्डवाडा/आबूरोड/आबूपर्वत
12. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, सिरोही को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु

**जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही**